IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

# प्रैस विज्ञप्ति - तत्काल प्रसार हेतु

**विषयः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से अतिरिक्त हित मांगना दुर्भाग्यपूर्ण - भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

**नई दिल्ली - दिनांक 25 सितम्बर, 2019** - दिनांक 17 सितम्बर, 2019 के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आईएफसीआई लि. बनाम संजय बिहारी व अन्य मामले (सी.ए. नं.6995/2019) में दिए गए अति महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा गया कि कोई भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपने आप में ही एक पैकेज है और योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में दिए गए हितों के अतिरिक्त अन्य किसी हित के हकदार नहीं हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, आईएफसीआई लि., भारत सरकार का उपक्रम, द्वारा दायर याचिका, जो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली बेंच के निर्णय के विरुद्ध थी, के सम्बन्ध में सुनवाई की जा रही थी ।

आईएफसीआई के कुछ पूर्व कर्मचारी, जिन्होंने 2008 में आईएफसीआई द्वारा लाई गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया था, ने आईएफसीआई द्वारा क्रियान्वित किए गए वेतनमानों का संदर्भ लेते हुए उनकी पेंशन में भी संशोधन करने का दावा किया था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके दावे को इस आधार पर सैद्धांतिक रूप से खारिज कर दिया कि वीआरएस अपने आप में ही एक पैकेज है और इसके पश्चात् किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जा सकता ।

इससे पूर्व वर्ष 2008 में वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों ने वर्ष 2016 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पेंशन में संशोधन के दावे के लिए एक याचिका दायर की थी । फरवरी, 2017 में माननीय एकल न्यायधीश महोदय ने यह याचिका खारिज कर दी थी । इसके पश्चात् वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक एलपीए दाखिल की जिसे माननीय उच्च न्यायालय की बेंच ने अपने 17/01/2019 के निर्णय के अनुसार स्वीकार कर लिया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से असतुंष्ट होकर आईएफसीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक सिविल याचिका दायिर की ।

यह निर्णय एक एतिहासिक निर्णय साबित हो सकता है, चूंकि इसमें निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए न्यायालय के पूर्व निर्णयों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और आईएफसीआई के आन्तरिक पॉलिसी दस्तावेजों पर विचार-विमर्श किया गया । इस निर्णय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के सम्बन्ध में विधिक स्थिति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है ।

शमीक दासगुप्त

(शमीक दासगुप्त)
महाप्रबन्धक(सीसीडी)

**<u>अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया सम्पर्क करें:</u>**

शमीक दासगुप्त
महाप्रबन्धक (सीसीडी)
मोबाइल - 8527192381
samik.dasgupta@ifciltd.com

आईएफसीआई/IFCI LTD.
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19
भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. Of India Undertaking